



Neutral Citation No.2026:LKO:11621

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ

अनुच्छेद 227 के अंतर्गत मामला सं. 555 वर्ष 2026

[ए.एफ.आर.]

मोहम्मद शकील

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

मुन्नी देवी द्वारा विधिक उत्तराधिकारी प्रतिपक्षी सं.2 एवं 3 एवं अन्य

...प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: प्रमोद कुमार, एस. मोहम्मद काज़िम, सैयद जमाल अहमद

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता:

न्यायालय सं.17

(माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)

- हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री एस. मोहम्मद काज़िम को सुना।
- भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने मोहम्मद शकील बनाम मुन्नी देवी शीर्षक वाले नियमित वाद सं. 973/2000 में विद्वान अपर सिविल न्यायाधीश (जे.डी.) लखनऊ द्वारा दिनांक 13.03.2024 को पारित आदेश की वैधता को चुनौती दी है, जिसके द्वारा तीसरे पक्ष - बाबू लाल (याचिका के प्रतिपक्षी सं. 4) द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया गया है।
- याचिकाकर्ता ने प्रतिपक्षी सं. 2 और 3 - रमेश कुमार और नरेश कुमार की माता मुन्नी देवी के विरुद्ध अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन के लिए उपरोक्त मुकदमा दायर किया था। दिनांक 23.12.2000 को विचारण न्यायालय ने एकतरफा आदेश पारित करते हुए प्रतिवादी को संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति को बेचने और संपत्ति के स्वरूप में परिवर्तन करने से रोक दिया था। इसके बाद, 30.05.2002 को एकपक्षीय डिक्री कर दी गई।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. वादी ने दिनांक 30.05.2002 के एकपक्षीय डिक्री के निष्पादन के लिए निष्पादन वाद सं. 08/2002 दायर किया।

5. निष्पादन वाद दायर करने से पहले, प्रतिवादी - निर्णीत ऋणी मुन्नी देवी ने दिनांक 26.03.2002 को विवादित संपत्ति के संबंध में कादिर हुसैन के पक्ष में एक विक्रय विलेख निष्पादित किया था और संपत्ति का भौतिक कब्जा क्रेता को सौंप दिया था। क्रेता कादिर हुसैन का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया गया था। कादिर हुसैन ने दिनांक 15.02.2005 को विवादित संपत्ति के संबंध में प्रतिपक्षी सं. 4 - बाबू लाल के पक्ष में एक पंजीकृत विक्रय विलेख निष्पादित किया और संपत्ति का कब्जा क्रेता को सौंप दिया। प्रतिपक्षी सं. 4 - बाबू लाल का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया गया है।

6. वादी (डिक्री धारक) ने निष्पादन कार्यवाही में कादिर हुसैन और बाबू लाल को पक्षकार बनाने के लिए आवेदन किया, जिसे 30.09.2013 के आदेश द्वारा स्वीकार कर लिया गया और कादिर हुसैन और बाबू लाल को निष्पादन वाद में पक्षकार बना दिया गया। प्रतिपक्षी सं. 4 ने कहा कि इससे पहले उसे निष्पादन कार्यवाही की कोई जानकारी नहीं थी।

7. प्रतिपक्षी सं. 4 ने दिनांक 30.05.2002 के एकपक्षीय डिक्री को रद्द करने के लिए आवेदन दायर किया, जिसे दिनांक 07.08.2023 के आदेश द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद प्रतिपक्षी सं. 4 ने मुकदमे में अपना पक्षकार बनाने का अनुरोध किया।

8. याचिकाकर्ता शकील अहमद ने आवेदन के विरुद्ध आपत्तियाँ दायर करते हुए अन्य बातों के साथ यह कहा कि निचली अदालत ने दिनांक 23.12.2000 को एक अस्थायी व्यादेश पारित कर प्रतिवादियों को संपत्ति हस्तांतरित करने से रोक दिया था। मुन्नी देवी ने संपत्ति कादिर हुसैन को बेच दी थी और उनके कादिर हुसैन ने संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 58 के प्रावधान का उल्लंघन करते हुए संपत्ति विपक्षी सं. 4 को बेच दी थी, और क्रेता को उसे पक्षकार बनाने का कोई अधिकार नहीं है। निष्पादन कार्यवाही में विपक्षी सं. 4 को पक्षकार बनाए जाने के संबंध में, वादी ने कहा कि यह किसी अन्य अधिवक्ता द्वारा गलत तरीके से किया गया था, जबकि वादी के नए नियुक्त अधिवक्ता का मत भिन्न था। नए नियुक्त अधिवक्ता ने जोड़े गए प्रतिवादियों को हटाने के लिए एक आवेदन दिया था, लेकिन आदेश IX नियम 13 सि.प्र.सं. के तहत आवेदन स्वीकार कर लिया गया था। वादी ने एकपक्षीय डिक्री को रद्द करने वाले आदेश को सिविल रिवीजन याचिका सं. 167/2023 के माध्यम से चुनौती दी थी, जो अपर जिला न्यायाधीश, न्यायालय सं. 9, लखनऊ की अदालत में लंबित थी।

9. विचारण न्यायालय ने दिनांक 13.03.2024 के आक्षेपित आदेश द्वारा प्रतिपक्षी सं. 4 को पक्षकार बनाने के आवेदन को स्वीकार करते हुए यह माना कि प्रतिपक्षी सं. 4 मुकदमे के दौरान हस्तांतरित है और वह अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आदेश 1 नियम 10 (2), धारा 146 और आदेश XXII नियम 10 सि.प्र.सं. में निहित वैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए पक्षकार बनने की मांग कर सकता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि मूल प्रतिवादी और उसके हस्तांतरिती द्वारा संपत्ति बेच दिए जाने के कारण वे कार्यवाही का बचाव करने में रुचि नहीं रखते हैं। इन परिस्थितियों में, प्रतिपक्षी सं. 4 को पक्षकार न बनाना मुकदमे में उसके हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा। विचारण न्यायालय ने आगे कहा कि बिक्री की वैधता का प्रश्न मुकदमे में तय किया जाएगा। विचारण न्यायालय ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अमित कुमार शॉ बनाम फरीदा खातून (2005) 11 एससीसी 403 मामले में दिए गए फैसले का सहारा लिया है, जिसमें यह माना गया है कि मुकदमे के दौरान हस्तांतरिती मुकदमे का एक आवश्यक पक्षकार होता है।

10. याचिकाकर्ता ने सिविल रिवीजन सं. 65 सन् 2024 दायर करके उपरोक्त आदेश को चुनौती दी थी, जिसे विद्वान अपर जिला न्यायाधीश, न्यायालय सं. 12, लखनऊ द्वारा दिनांक 17.11.2025 को पारित निर्णय और आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया है और याचिकाकर्ता ने पुनरीक्षण आदेश की वैधता को भी चुनौती दी है।

11. उपरोक्त आदेशों की वैधता को चुनौती देते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनिल कुमार सिंह बनाम शिवनाथ मिश्रा (1995) 3 एससीसी 147, विजय प्रताप बनाम शंभू सरन सिन्हा (1996) 10 एससीसी 53, बीबी जुबैदा खातून बनाम नबी हसन साहब (2004) 1 एससीसी 191 और गुरमीत सिंह भाटिया बनाम किरण कांत रॉबिन्सन (2020) 13 एससीसी 773 के निर्णयों पर का सहारा लिया है।

12. संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 52 में निम्नलिखित प्रावधान है: -

“52. संबंधित मुकदमे के लंबित रहने के दौरान संपत्ति का हस्तांतरण - भारत की सीमाओं के भीतर (जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर) या केंद्र सरकार द्वारा ऐसी सीमाओं को छोड़कर स्थापित किसी भी न्यायालय में, किसी भी ऐसे मुकदमे या कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, जो मिलीभगत से नहीं हैं और जिसमें अचल संपत्ति के किसी अधिकार पर प्रत्यक्ष और विशिष्ट रूप से प्रश्न उठाया गया है, मुकदमे या कार्यवाही के किसी भी पक्ष द्वारा संपत्ति का हस्तांतरण या अन्यथा के संबंध में इस प्रकार से व्यवहार नहीं किया जा सकता है जिससे उसमें दिए गए किसी भी निर्णय या आदेश के तहत किसी अन्य पक्ष के अधिकारों पर प्रभाव पड़े, सिवाय न्यायालय के अधिकार के तहत और ऐसी शर्तों पर जो न्यायालय निर्धारित करे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

स्पष्टीकरण: इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी वाद या कार्यवाही की लंबितता सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने या कार्यवाही शुरू करने की तिथि से प्रारंभ मानी जाएगी और तब तक जारी रहेगी जब तक कि वाद या कार्यवाही का अंतिम निर्णय या आदेश द्वारा निस्तारण नहीं हो जाता और ऐसे निर्णय या आदेश की पूर्ण संतुष्टि या मुक्ति प्राप्त नहीं हो जाती, या किसी भी कानून द्वारा उसके निष्पादन के लिए निर्धारित किसी भी परिसीमा अवधि की समाप्ति के कारण वह अप्राप्य नहीं हो जाती।”

13. आदेश। नियम 10, सि.प्र.सं. में निम्नलिखित प्रावधान है: -

आदेश 1 नियम 10

“10. गलत वादी के नाम पर मुकदमा (1) जहां कोई मुकदमा वादी के रूप में गलत व्यक्ति के नाम पर दायर किया गया हो या जहां यह संदेह हो कि क्या यह सही वादी के नाम पर दायर किया गया है, तो न्यायालय मुकदमे के किसी भी चरण में, यदि संतुष्ट हो कि मुकदमा सद्भावनापूर्ण त्रुटि के कारण दायर किया गया है, और विवाद के वास्तविक मामले के निर्धारण के लिए ऐसा करना आवश्यक है, तो किसी अन्य व्यक्ति को, ऐसी शर्तों पर जैसा न्यायालय उचित समझे, वादी के रूप में प्रतिस्थापित या जोड़े जाने का आदेश दे सकता है।

(2) न्यायालय पक्षकारों को हटा या जोड़ सकता है। न्यायालय कार्यवाही के किसी भी चरण में, किसी भी पक्षकार के आवेदन पर या उसके बिना, और ऐसी शर्तों पर जो न्यायालय को उचित प्रतीत हों, यह आदेश दे सकता है कि किसी भी पक्षकार का नाम, चाहे वह वादी हो या प्रतिवादी, जिसे अनुचित रूप से शामिल किया गया हो, हटा दिया जाए, और किसी ऐसे व्यक्ति का नाम, जिसे वादी या प्रतिवादी के रूप में शामिल किया जाना चाहिए था, या जिसकी उपस्थिति न्यायालय के समक्ष आवश्यक हो ताकि न्यायालय मुकदमे में शामिल सभी प्रश्नों का प्रभावी और पूर्ण रूप से निर्णय और निपटारा कर सके, जोड़ा जाए।

(3) अक्षमता से ग्रस्त किसी भी व्यक्ति को बिना न्यायमित्र या उसकी सहमति के बिना, बिना न्यायमित्र के रूप में वादी के तौर पर शामिल नहीं किया जाएगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(4) जहां प्रतिवादी जोड़ा जाता है, वहां वादपत्र में संशोधन किया जाएगा। जहां प्रतिवादी जोड़ा जाता है, वहां न्यायालय द्वारा अन्यथा निर्देश न दिए जाने पर, वादपत्र में आवश्यक संशोधन किया जाएगा, और समन और वादपत्र की संशोधित प्रतियां नए प्रतिवादी को और यदि न्यायालय उचित समझे तो मूल प्रतिवादी को भी तामील की जाएंगी।

(5) भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1877 (15 सन् 1877) की धारा 22 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, किसी भी व्यक्ति को प्रतिवादी के रूप में जोड़े जाने पर उसके विरुद्ध कार्यवाही समन की तामील होने पर ही प्रारंभ मानी जाएगी।”

14. सि.प्र.सं. के XXII नियम 10 में निम्नलिखित प्रावधान है: -

“10. मुकदमे में अंतिम आदेश से पहले निहित करने के मामले में प्रक्रिया -(1) मुकदमे की लंबितता के दौरान किसी हित के निहित किए जाने, सृजन या हस्तांतरण के अन्य मामलों में, न्यायालय की अनुमति से, मुकदमा उस व्यक्ति द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखा जा सकता है, जिसे ऐसा हित प्राप्त हुआ है या हस्तांतरित हुआ है।

(2) किसी डिफ्री के विरुद्ध अपील लंबित रहने के दौरान उसकी कुर्की को ऐसा हित माना जाएगा जो ऐसी कुर्की करवाने वाले व्यक्ति को उप-नियम (1) का लाभ प्राप्त करने का हकदार बनाता है।”

15. अमित कुमार शॉ बनाम फरीदा खातून: (2005) 11 एससीसी 403 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि: -

“14. मुकदमे के दौरान हस्तांतरित संपत्ति प्राप्तकर्ता मुकदमे में पारित अंतिम निर्णय से बाध्य होता है। ऐसे हस्तांतरित संपत्ति प्राप्तकर्ता को इस नियम के साथ-साथ आदेश 1 नियम 10 के तहत भी रिकॉर्ड में लाया जा सकता है। चूंकि मुकदमे की लंबितता के सिद्धांत के तहत, जिस मुकदमे की लंबितता के दौरान हस्तांतरण किया जाता है, उसमें पारित निर्णय हस्तांतरिती को बाध्य करता है, इसलिए उसे रिकॉर्ड में लाने के लिए सामान्यतः आवेदन स्वीकार किया जाना चाहिए।

* * *

16. मुकदमे की लंबितता का सिद्धांत केवल तभी लागू होता है जब मुकदमा न्यायालय में लंबित हो। मुकदमे की लंबितता के दौरान, हस्तांतरिती को मुकदमे में पक्षकार बनने का

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अधिकार नहीं होता, यद्यपि न्यायालय के पास उसे पक्षकार बनाने का विवेक होता है। लेकिन मुकदमे की लंबितता के दौरान हस्तांतरिती को उचित पक्षकार के रूप में जोड़ा जा सकता है यदि मुकदमे की विषयवस्तु में उसका हित पर्याप्त हो, न कि केवल सतही। मुकदमे की लंबितता के दौरान हस्तांतरिती, जिस हद तक उसने प्रतिवादी से हित प्राप्त किया है, मुकदमे में अत्यंत महत्वपूर्ण हित रखता है, जहां हस्तांतरण प्रतिवादी के संपूर्ण हित का हो; संपत्ति में प्रतिवादी का कोई हित न होने के कारण वह मुकदमे का उचित बचाव नहीं कर सकता। वह वादी के साथ मिलीभगत कर सकता है। इसलिए, यद्यपि वादी मुकदमे की लंबितता के दौरान हस्तांतरिती को पक्षकार बनाने के लिए बाध्य नहीं है, आदेश 22 नियम 10 के तहत मुकदमे की लंबितता के दौरान हस्तांतरिती को पक्षकार के रूप में जोड़ा जा सकता है। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, न्यायालय के पास इस मामले में विवेक है जिसका प्रयोग न्यायिक रूप से किया जाना चाहिए और हस्तांतरिती को आमतौर पर पक्षकार के रूप में जोड़ा जाता है ताकि वह अपने हितों की रक्षा कर सके। न्यायालय ने यह माना है कि अचल संपत्ति में हित का अंतरिम हस्तांतरण प्राप्तकर्ता उस पक्ष का हित प्रतिनिधि होता है जिससे उसने वह हित प्राप्त किया है। उसे मुकदमे या अन्य कार्यवाही में पक्षकार बनाए जाने का अधिकार है, जहां उसके पूर्ववर्ती को मुकदमे में पक्षकार बनाया जाता है; उसे मामले की मेरिट के आधार पर सुनवाई का अधिकार है।”

(प्रभाव वर्धित)

16. अनिल कुमार सिंह बनाम शिवनाथ मिश्रा: (1995) 3 एससीसी 147 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि :-

“3. आदेश 22, नियम 10 के अनुसार, किसी मुकदमे की लंबित अवधि के दौरान, उत्तराधिकार, आवंटन या सृजन द्वारा कोई हित प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसके विरुद्ध न्यायालय की अनुमति से मुकदमा जारी रखा जा सकता है। विशिष्ट निष्पादन के मुकदमे की लंबित अवधि के दौरान डिक्री प्राप्त करना और सह-स्वामित्व प्राप्त करना, आवंटन, सृजन या उत्तराधिकार द्वारा हित प्राप्त करना नहीं है। इसलिए, आदेश 22, नियम 10 इस मामले पर लागू नहीं होता है।”

17. विजय प्रताप बनाम शंभू सरन सिन्हा (1996) 10 एससीसी 53 में, विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमा दायर किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पिता ने अपने जीवनकाल में समझौता किया था अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

और प्रत्यर्थी 1 के रूप में पक्षकारों की सूची से अपना नाम हटाने का अनुरोध किया था। उनकी मृत्यु के बाद उनका नाम हटा दिया गया था। समझौता दर्ज होने से पहले मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ताओं ने आदेश 1 नियम 10 के तहत पक्षकार बनने की मांग की। निचली अदालत ने यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि वाद संपत्ति में सह-वादी के अधिकार, हक और हित का निर्णय इस मुकदमे के दायरे से बाहर है और अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन के मुकदमे को नियमित स्वामित्व मुकदमे में नहीं बदला जा सकता है, इसलिए याचिकाकर्ता आदेश 1 नियम 10 सि.प्र.सं. के तहत आवश्यक और उचित पक्षकार नहीं हैं। इस मामले में आदेश XXII नियम 10 सि.प्र.सं. के तहत हस्तांतरिती को पक्षकार बनाने/प्रतिस्थापन का प्रश्न शामिल नहीं था।

18. बीबी जुबैदा खातून बनाम नबी हसन साहेब: (2004) 1 एससीसी 191 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि: -

“9. यह निर्विवाद है कि वर्तमान याचिकाकर्ता ने मुकदमे की लंबित अवधि के दौरान और संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 52 के तहत आवश्यक न्यायालय की अनुमति लिए बिना संपत्ति खरीदी थी। याचिकाकर्ता, न्यायालय की अनुमति के बिना मुकदमे के दौरान संपत्ति का हस्तांतरण प्राप्त करने वाला होने के नाते, उन मुकदमों में पक्षकार के रूप में शामिल होने का अधिकार नहीं रखता है जो 1983 से लंबे समय से लंबित हैं। यह सत्य है कि जब मुकदमे के दौरान हस्तांतरण के आधार पर पक्षकार के रूप में शामिल होने के लिए आवेदन किया जाता है, तो हस्तांतरण प्राप्त करने वाले को आमतौर पर पक्षकार के रूप में शामिल किया जाना चाहिए ताकि वह अपने हितों की रक्षा कर सके। लेकिन इस मामले में, निचली अदालत ने ऐसे पक्षकार को शामिल करने से इनकार करने के लिए ठोस कारण दिए हैं, यह कहते हुए कि मुकदमा 1983 से लंबे समय से लंबित है और प्रथम दृष्टया संपत्ति हस्तांतरण की कार्यवाही सद्भावनापूर्ण प्रतीत नहीं होती है। निचली अदालत ने याचिकाकर्ता द्वारा लंबित मुकदमों को जटिल बनाने और विलंबित करने का प्रयास देखा।”

19. वर्तमान मामले में प्रथम दृष्टया भी ऐसा कुछ नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि प्रतिपक्षी सं. 4 के पक्ष में संपत्ति का हस्तांतरण सद्भावनापूर्वक नहीं किया गया था। यदि हस्तांतरण सद्भावनापूर्वक नहीं माना जाता है, तो प्रतिपक्षी सं. 4 को आदेश XXII नियम 10 सि.प्र.सं. के प्रावधानों के तहत पक्षकार बनाए जाने का अधिकार है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



20. गुरमीत सिंह भाटिया बनाम किरण कांत रॉबिन्सन (2020) 13 एससीसी 773 में विचारणीय मुख्य प्रश्न यह था कि क्या वादी को किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध, और विशेष रूप से ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जिसके विरुद्ध उसने कोई राहत नहीं मांगी है, विशिष्ट निष्पादन के मुकदमे में पक्षकार बनाने के लिए बाध्य किया जा सकता है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कस्तूरी बनाम अय्यमपेरुमल (2005) 6 एससीसी 733 के मामले में दिए गए निर्णय का सहारा लिया, जिसमें यह माना गया था कि किसी पक्षकार को जोड़ने के लिए न्यायालय के आदेश 1 नियम 10 सि.प्र.सं. को लागू करने के अधिकार क्षेत्र का प्रश्न तब तक नहीं उठता जब तक कि प्रस्तावित पक्षकार का मुकदमे में शामिल विवाद में प्रत्यक्ष और कानूनी हित न हो। आगे यह भी कहा गया कि यह निर्धारित करने के लिए कि कौन आवश्यक पक्षकार है, दो परीक्षणों को पूरा किया जाना चाहिए। परीक्षण इस प्रकार हैं: (1) कार्यवाही में शामिल विवादों के संबंध में ऐसे पक्षकार के विरुद्ध किसी राहत का अधिकार होना चाहिए; (2) ऐसे पक्षकार की अनुपस्थिति में कोई प्रभावी डिक्री पारित नहीं की जा सकती। विशिष्ट निष्पादन के मुकदमे में, यह निर्धारित करने के लिए कि कोई पक्षकार आवश्यक पक्षकार है या नहीं, पहला परीक्षण यह है कि विक्रय अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन की कार्यवाही में शामिल विषय-वस्तु से संबंधित, आवश्यक पक्षकार होने का दावा करने वाले पक्षकार के विरुद्ध समान राहत का अधिकार होना चाहिए। अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन के मुकदमे में, उचित पक्षकार वह पक्षकार होता है जिसकी उपस्थिति मुकदमे में शामिल विवाद का निर्णय करने के लिए आवश्यक होती है। विक्रेता के अधिकार के विपरीत, अनुबंध के आधार पर नहीं, स्वतंत्र अधिकार और कब्जे का दावा करने वाले पक्षकार उचित पक्षकार नहीं हैं, और यदि ऐसे पक्षकार को मुकदमे में शामिल किया जाता है, तो विशिष्ट निष्पादन के मुकदमे का दायरा अधिकार और कब्जे के मुकदमे तक विस्तारित हो जाएगा, जो कि अनुचित है। किसी तीसरे पक्षकार या अजनबी को विशिष्ट निष्पादन के मुकदमे में केवल यह पता लगाने के लिए शामिल नहीं किया जा सकता कि अनुबंधित संपत्ति पर किसका कब्जा है या मुकदमों की बहुलता से बचने के लिए। किसी अनुबंध में किसी तीसरे पक्ष या अजनबी को इस प्रकार शामिल नहीं किया जा सकता है जिससे एक प्रकार का मुकदमा दूसरे प्रकार के मुकदमे में परिवर्तित हो जाए।

21. वर्तमान मामले में, चूंकि प्रतिपक्षी सं. 4 ने पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से विवादित संपत्ति खरीदी है और वर्तमान में वह विवादित संपत्ति का स्वामी है, इसलिए वादी को विक्रय अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन की कार्यवाही में शामिल विषय-वस्तु से संबंधित प्रतिपक्षी सं. 4 के विरुद्ध राहत का दावा करने का अधिकार है और मुकदमे में शामिल विवाद के निर्णय के लिए उसकी उपस्थिति आवश्यक है। प्रतिपक्षी सं. 4 विक्रेता के स्वामित्व के विपरीत स्वतंत्र स्वामित्व और कब्जे का दावा नहीं कर रहा है,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बल्कि वह विक्रेता द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख के तहत इसका दावा कर रहा है। इसलिए, वह आदेश XXII नियम 10 सि.प्र.सं. के तहत पक्षकार बनने का हकदार है।

22. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत इस तर्क के संबंध में कि मूल प्रतिवादी ने संपत्ति के हस्तांतरण पर रोक लगाने वाले अस्थायी व्यादेश आदेश का उल्लंघन करते हुए विक्रय विलेख निष्पादित किया था, यह कहना पर्याप्त होगा कि मुकदमा एकतरफा रूप से आगे बढ़ाया गया और डिक्री एकपक्षीय हुई, और अभिलेखों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि प्रतिवादी को अस्थायी व्यादेश आदेश की जानकारी थी। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि विक्रय विक्रय विक्रय आदेश का जानबूझकर उल्लंघन करते हुए निष्पादित किया गया था।

23. इसके अतिरिक्त, वादी ने स्वयं निष्पादन कार्यवाही में कादिर हुसैन और बाबू लाल (प्रतिपक्षी सं. 4) को पक्षकार बनाने के लिए आवेदन दायर किया था, जिसे दिनांक 30.09.2013 के आदेश द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। इसके बाद, प्रतिपक्षी सं. 4 द्वारा दायर आवेदन पर दिनांक 07.08.2023 के आदेश द्वारा दिनांक 30.05.2002 के एकपक्षीय डिक्री को रद्द कर दिया गया। ये तथ्य भी प्रतिपक्षी सं. 4 को मुकदमे में प्रतिवादी के रूप में शामिल करने के दावे का समर्थन करते हैं।

24. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि यह किसी अन्य अधिवक्ता द्वारा गलत तरीके से किया गया था, जबकि वादी के नव नियुक्त अधिवक्ता का दृष्टिकोण भिन्न था, स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि केवल अधिवक्ता के बदलने से उस दृष्टिकोण में परिवर्तन उचित नहीं ठहराया जा सकता जो पक्षकार ने मामले की पैरवी करते समय अपनाया था।

25. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, विद्वान अपर सिविल जज (जे.डी.), न्यायालय सं. 48, लखनऊ द्वारा नियमित वाद सं. 973/2000 में दिनांक 13.03.2024 को पारित आदेश में कोई त्रुटि या अवैधता नहीं प्रतीत होती है, जिसमें याचिका के प्रतिपक्षी सं. 4 बाबू लाल द्वारा दायर पक्षकार आवेदन को स्वीकार किया गया है।

26. याचिका में कोई मेरिट नहीं है और इसे प्रवेश स्तर पर ही खारिज किया जाता है।

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)

13 फरवरी, 2026

-अमित के-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated Version. Not for Legal Use

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।